तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की ... में जारी ...
21.1.2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली मे निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हम फीता दाखिल रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः– अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 09/18

आर.सी.एम.एस 2018/00128

तारीख रजू 02.07.2018

1.श्रीमति मीरा पुत्री रामसिंह करौली धूपसिंह उम्र 38 साल जाति गुर्जर निसासी कांसपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर राज.

–वादी

बनाम

1.रामसिंह पुत्र सिरमोहर उम्र 70 साल जाति गुर्जर निवासी पहाडी तन गुडला तहसील व जिला करौली।
2.श्रीमति रामा पत्नि लाखन उम्र 22 साल जाति गुर्जर निवासी पिपरानी तहसील मासलपुर
3.बच्चू पुत्र रामसिंह उम्र 30 साल जाति गुर्जर निवासी पिपरानी तहसील मासलपुर
4.रामराज पुत्र रामसिंह उम्र 28 साल जाति गुर्जर निवासी पिपरानी तहसील मासलपुर
5.श्रीमति मुन्नी पुत्री रामसिंह पत्नी रामसहाय उम्र 40 साल जाति गुर्जर निवासी पहाडी तन गुडला तह. करौली
6.अमरकोर पुत्री रामसिंह पत्नि राजेश उम्र 38 साल साल जाति गुर्जर निवासी पहाडी तन गुडला तह. करौली
7.श्रीमति भूरो पुत्री रामसिंह पत्नि बहादुर साल जाति गुर्जर निवासी उम्र 84 साल जाति गुर्जर नि. रोंडकला तह.करौली जिला करौली
8.श्रीमति सरोज पुत्री रामसिंह पत्नि भूपसिंह उम्र 22 साल जाति नि. रोंडकला तह. करौली जिला करौली
9.श्रीमति राजवन्ती पुत्री रामसिंह पत्नी रामजनम उम्र 26 साल जाति गुर्जर निवासी भगतपुरा तन गुडला तहसील करौली
10.लेण्ड होल्डर एवं सव रजिस्ट्रार मासलपुर जिला करौली राज.

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णयः

दिनांकः 21.1.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 23/523,24,25,26,27, कुल किता 5 कुल रकवा 3 वीधा 0.18 विस्वा ग्राम देवरी पटवारी हल्का पिपरानी तहसील मासलपुर सायला गैर सायल न0 1 के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त की है सायला के [illegible]रामसिंह व वावा सिरमोहर के खातेदारी की है सजरा वादपत्र के पैरा न01 [illegible] सायला ने पहली शादी सायला की माता लोहरी से की जिसमें सायला एक [illegible] सन्तान पैदा हुई है गैरसायल न01 ने सायला की माता लोही उसके साथ [illegible] करीव 35 साल दीगर व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Rarmar
Date: 2021.02.16 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को बेच दिया जो मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रही है एवं सायल गैर सायल न01 की पैदायशी एक मात्र सन्तान है। आराजीयात पैतृक है। जिसमें सायला का 1/2 हिस्सा हक है जिसे सायला प्राप्त करने की अधिकारी है। गैरसायल न01 लडाकू अच्छी सोच का व्यक्ति नही है। पैतृक अराजीयात का दूसरी पत्नि से पैदायश हुई सन्तान को अपनी आराजीयात को देने पर उतारू है कई बार गैर सायल से सायला ने अपना हिस्सा देने को कहा मगर टालमटोल करता रहा अव ऐतानिया कह रहा है कि पूरी जमीन जयदाद को रामपति की औलाद को दूगा लौही की औलाद को कोई हक हिस्सा नही दूगा ज्यादा मांग करेगी तो पूरी जमीन दीगर व्यक्तियों को बेच कर उसके रूपयों को रामपति की औलाद को दे दूगा इस हेतु उसने खरीददारों से बात करना भी शुरू कर दिया है गैरसायल न01 ता09 आपस में साजिश किये हुए है। और वह इसमें कामियाव हो गये तो सायला अपनी पैतृक आराजी के अधिकारों से वंचित हो जावेगी और अनावश्यक मुकदमा वाजी बढेगी इसलिए सायला ने दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये है गैरसायल न01 ने प्रारम्भ से ही सायला को प्यार नही दिया ना ही परिवरिश की कोई निर्वाह किया और गैर सायलता ने अपनी वैध पूर्व पत्नि लौही को ना ही सायला वैध सन्तान को कुछ नही देने पर उतारू है। इसलिए सायला गैरसायलान न01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से तारीख फैसला वादपत्र पाबन्द करने की अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र सायला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरियें नोटिस से तलब किया गया।

गैर सायलान न0 1 ता 09 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद ग्रस्त आराजी ग्राम देवरी तहसील मासलपुरमें स्थित है जो गैर सायलान न01 के खातेदारी में है सायला ने मनगढन्त कहानी बना कर वदनियाति पूर्वक दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है सायला की मा लौही को उसके नावलिग पुत्र के साथ 35 साल पूर्व दीगर व्यक्तियों नही वेचा है गैर सायलान न01 से लौही को गर्भ से किसी प्रकार का कोई पुत्र पैदा नही हुआ था आराजीयात पैतृक नही है सायला का 1/2 हिस्सा हक नही है। सायला ने गैरसायलान न01 से कोई हिस्सा की मांग नही की है। सायल से गैरसायलान न01 ने रामपति की औलाद को हिस्सा देने की नही कहा है ना ही उक्त भूमि को रहन वय करने को कहा है। सायला का भूमि में कभी हिस्सा नही रहा है सायला ने प्रार्थना पत्र गैरसायलान न01 को केवल परेशान करने की गरज से व दबाब बना कर गैर सायलान न01 की भूमि को हडपाने की गरज से पेश किया है। सायला के तथा गैरसायलान न02 ता09 को गैरसायलान न01 के जीवित रहते किसी भी सम्पति में किसी प्रकार का कोई अधिकार हिन्दू अधिकार अधिकारी के तहत सृजित नही होता है सायला को कोई क्षति व असुविधा नही है। सायला का भूमि पर कोई कब्जा नही है गैर सायल न01 खातेदार काश्तकार है जिसके विक्रय किसी प्रकार की अस्थाई निषेधज्ञा जारी नही जा सकती है सायला को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ रंजिश वश गलत रूप से दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है अन्त में प्रार्थना पत्र सायला खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस वकील फरीकेन सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल का वहस है कि वाद ग्रस्त आराजीयात वादिया के पुरखा हीरासिंह व दावा सिरमोहर के समय की पैतृक है सायला गैरसायलान न01 की पहली वैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 10:02:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्नि लौही की पैदायशी एक मात्र जीवित सन्तान है। सायला का वाद ग्रस्त आराजीयान में 1/2 हिस्सा है गैर सायलान न 01 से सायल ने सायला के 1/2 हिस्सा को देने को कई वार कहा मगर गैर सायल न0 1 टालमटोल करता रहा और अव गैर सायलान न01 समस्त भूमि को दूसरी पत्नि रामपति की सन्तानों गैर सायलान न02 ता09 को जमीनोकं को देना चाहता है और भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर रूपयों को गैर सायलान न0 02 ता0 09 को देने की धमकी देता है। यदि गैर सायलान न01 ने भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दिया तो सायला अपने 1/2 हिस्सा भूमि से वांछित हो जावेगी वेजा बढेगी इसलिए सायला गैरसायलान को अस्थाई किये निषेधाज्ञा से ताफैसला वादपत्र से पाबन्द कराने की हकदार है। प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किया जावें।

वकील गैरसायलान का वहस में कथन है कि वाद ग्रम आराजीयात में सायला का कोई हक हकूक हिस्सा नही है। सायला को गैरसायलान न01 ने रामपति की सन्तानों को आराजी देने व भूमि को वेचने की घमकी नही दी है। सायला को व रामपति को सन्तानों कोक गैरसायलान न01 के जीवित रहने हूए कोई अधिकार खातेदारी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नही होते है सायला का भूमि पर कोई कब्जा हक हिस्सा नही है सायला ने गैर सायल न01 को परेशान करने व गैर सायला न01 पर दवाव बनाने को यह दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है सायला को कोई अस्थाई निषेधारा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावें

वहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का विवेचन किया गया । सायल के प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 व सम्वत् 2015 की फोटो प्रतियॉ पेश की है जिसमें सम्वत् 2015 में वादग्रस्त आराजीयात दुलेराम वल्द हीरासिंह व जयलाल,जनकसिंह पुत्र धठौली गुर्जर के खातेदारी में दर्ज रही है जो उभयपक्षकारान के पूर्वजोंके समय की है पैतृकहोना प्रकट करती है वादग्रस्त आराजीयात गैर सायल नं.1 की स्वअर्जित व खरीदशुदा नही होना प्रकट होता है। उभय पक्ष के हकहकूक मूलवाद में उभयपक्ष की साक्ष्य के वाद अंतिम निर्णय कर तय होगें इससे उभयपक्ष के मध्य खातेदारी अधिकारों का सद्भावी विवाद है जिससे प्रथमदृष्टया से सायला के पक्ष के प्रतीत होता है भूमि की ताफैसला वाद पर स्थिति यथावत रखने में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीयक्षति सायला को है। प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किया जाता है गैरसायलान 1ता 10 को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 23/527,24,25,26,27 कुल किता 5 कुल रकवा 3 बीघा 18 विस्वा ग्राम देवरी पटवार हल्का पिपरानी तह. मासलपुर के रहन, वय नही करें एवं मौका व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

निर्णय आज़ दिनांक 21.1.2021 को मेरे न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner